

**\*जनपद – संतकबीरनगर\***

**\*प्रेस विज्ञप्ति\***

**\*दिनांक 27.06.2025\***

**\*थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री संदीप कुमार मीना\*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सुशील कुमार सिंह\*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **\*श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय\*** के पर्यवेक्षण में **\*थाना महुली पुलिस\*** द्वारा मु0अ0सं0 232/2025 धारा 69/352/115(2)/351(3) बीएनएस के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता आनन्द उर्फ मोनू पुत्र स्व0 इनरपत चौहान निवासी सीयर थाना खजनी जनपद गोरखपुर को मैन्सिर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने संबंध में वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 23.06.2025 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए, उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-\*** वरि0उ0नि0 श्री रामकरन निषाद, का0 अजीत गुप्ता।

**\*शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 20 अभियुक्त गिरफ्तार\***

**\*थाना धनघटा पुलिस द्वारा\*** 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**\*थाना महुली पुलिस द्वारा\*** 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**\*थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा\*** 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**\*थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा\*** 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 09 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**\*पीआरवी आफ द डे\***

**\*पीआरवी 5264 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल-\*** पीआरबी 5264 को थाना कोतवाली खलीलाबाद अन्तर्गत डीघा बाईपास से कालर द्वारा दो बाईक के आपस में टकराने से दुर्घटना में घायल 03 लोगो (1.प्रदीप पुत्र बालचन्द्र 2. सुधा पत्नी प्रदीप 3. अंजु पुत्री मुन्ना ग्राम दोहरिया बाजार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल लोगो को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेन्स की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

**\*पीआरवी स्टाफ-\*** आ0 दीपक कुमार, हो0चा0 महेश्वर शुक्ला।

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 211 वाहनों से 2,22,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया\***

आज दिनांक 27.05.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 211

वाहनों से 2,22,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

**\*“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगेस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त को 02 वर्ष 02 माह के कठोर कारावास व कुल 5,000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन में “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 27.06.2025 को \*मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद संतकबीरनगर\* द्वारा 01 अभियुक्त को 02 वर्ष 02 माह के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

विवरण:-

मु0अ0सं0 255/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त चन्द्रिका निषाद पुत्र रामजित्तन निषाद निवासी पड़रिया रामपुर बाराकोनी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर हाल पता सरकारी आवास सीएससी हैसर बाजार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्धी के आधार पर दोषसिद्ध अभियुक्त चन्द्रिका निषाद को धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत 02 वर्ष 02 माह के कठोर कारावास तथा 05 हजार रुपये